उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस पिटीशन नं0–32/2018

गंगा पंडित वगैरह

बनाम्

रैयान मौजा–चौरा

–: आदेश :–

दिनांक	
18.1.19	यह वाद आवेदक गंगा पंडित वो नरेश पंडित, पे0–स्व0 हरि पंडित वो धर्मदेव पंडित वो भोला पंडित वो सुरेश पंडित, पे0–स्व0 कन्हाई पंडित वो ब्रहमदेव पंडित वो उदय पंडित वो संगम पंडित, पे0–स्व0 मिस्त्री पंडित सभी साकिनान–चौरा, थाना–बलबड्डा जिला–गोड्डा के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। आवेदकगण ने मौजा–चौरा के जमाबंदी सं0–30/1 के दाग नं0–93 रकवा 0.365/0.073 धुर का मुआवजा भुगतान करने के लिए जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा को निदेश देने के लिए आवेदन किया गया है। आवेदकगण का आवेदन है कि मौजा–चौरा नं0–340 के जमाबंदी सं0–30 के जमाबंदी रैयत मनु मंडल के द्वारा जमाबंदी का मालगुजारी भुगतान नहीं करने के कारण जमाबंदी रैयत को जमाबंदी की जमीन उच्छेद किया गया एवं आवेदकगण के परदादा भोजू पंडित के द्वारा मालगुजारी का राशि जमा करने पर उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–101, 100, 97, 98, 99, 93, 102, 103, 104, 105, 106, 94 रकवा 10–00–00 धुर जमीन भोजू पंडित के नाम से आर0ई0आर0 केश नं0–407/1934–35 के द्वारा बंदोवस्त किया गया और उपरोक्त दस बीघा जमीन पर भोजू पंडित को दखल दिहानी भी दिलाया गया और उसी समय से उपरोक्त दाग नं0 की जमीन भोजू पंडित जोत आबाद करते आ रहे हैं तथा उनकी मृत्यु के बाद आवेदकगण उनके वारिशान होने के नाते जोत आबाद करते आ रहे हैं तथा सरकार को मालगुजारी भुगतान करते आ रहे हैं। उक्त बंदोवस्त जमीन में दाग नं0–93 एवं 94 की जमीन का अधिग्रहण रेलवे की जमीन के लिए किया गया है। लेकिन हितबद्ध व्यक्तियों की सूची में दूसरे व्यक्तियों का नाम दिखाया गया है। आवेदकगण के द्वारा इसके पूर्व भी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा को आवेदन दिया था। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। उन्होंने उक्त अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा को निदेश देने हेतु अनुरोध किया है।

इस संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–801/भू0अ0 दिनांक–17.11.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–चौरा थाना नं0–340 में गोड्डा पीरपैंती नई बी0जी0 रेलवे लाईन निर्माण के लिए अर्जनाधीन भूमि हेतु प्रकाशित धारा–11 (प्रारभिक अधिसूचना) एवं अंचल से प्राप्त हितबद्ध व्यक्तियों की सूची प्रकाशित की गयी है। गोड्डा–पीरपैंती नई बी0जी0 रेल परियोजना का भूमि अधिग्रहण का कार्य इस रेल परियोजना के संबंध में अंतिम निर्णय होने तक स्थगित रखने का आदेश प्राप्त है। उक्त रेल परियोजना में धारा–11(प्रारंभिक अधिसूचना) के बाद भू–अर्जन की अग्रेतर कार्रवाई स्थगित है।

उपरोक्त तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक की ओर से दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–चौरा थाना नं0–340 जमाबंदी सं0–30 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मनु मंडल वो खन्तर मंडल पेशरान मुनवल मंडल वो मंगल मंडल वो दासो मंडल वो बाबू लाल मंडल पेसरान कुजवल मंडल वो गरभू मंडल वल्द पंडू मंडल के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत मामला दाग नं0–93 एवं 94 की जमीन से संबंधित है, जिसका जमाबंदी नं0–30/1 रैयती उच्छेदी केश नं0–407/34–35 के द्वारा कायम किया गया है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–93 एवं 94 की जमीन को रेलवे लाईन हेतु अधिग्रहण किया गया है। लेकिन हितवद्ध सूची में मूल रैयत के वंशज का ही नाम दर्ज किया गया है। जबकि आवेदक की ओर से दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रैयती उच्छेदी केश नं0–407/34–35 के द्वारा उक्त जमीन से मूल रैयत को उच्छेद किया गया है और भोजू पंडित के द्वारा बकाया लगान की राशि का भुगतान किये जाने के कारण उक्त जमीन उनके साथ बंदोवस्ती की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक का दावा बंदोवस्तीदार रैयत भोजू पंडित के वंशज के आधार पर विचारणीय योग्य प्रतीत होता है।

अतः जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि आवेदक के दावा पर नये सिरे से सुनवाई कर आवेदक को उक्त अधिग्रहित जमीन का मुआवजा भुगतान हेतु नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

डी0 डी0– 19
23/11/21

20/11/202

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:01:34 +05:30
Location: 192.168.29.8

18/11/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

18/11/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

Misc. ... No. 32-2019